Supportive Supervision Vehicle Hiring District and Block wise information 2017-18

Sl.No.	Name of Div	Name of District	Name of Block	Vehicle no-	Date of Hiring	Vehicle Alloted	Vehicle Status
1	Lucknow	Lakhimpuir	Issanagar	UP31T- 9124	1-04-2017 to 31-03-2018	1	Boloro
2	Lucknow	Lakhimpuir	kumbhi	UP31T- 8413	1-04-2017 to 31-03-2018	1	Boloro
3	Lucknow	Lakhimpuir	PhoolBehar	UP31T- 8278	1-04-2017 to 25-12-2017	1	Boloro
	Lucknow	Lakhimpuir		UP31T- 6553	26-12-2017 to 31-03-2018		Boloro
4	Lucknow	Lakhimpuir	Phardhan	UP31T- 6843	1-04-2017 to 31-03-2018	1	Boloro
5	Lucknow	Lakhimpuir	Behjam	UP31T- 9164	1-04-2017 to 31-03-2018	1	Boloro
6	Lucknow	Lakhimpuir	Nakha	UP31T- 8398	1-04-2017 to 31-03-2018	1	Boloro
	Lucknow	Lakhimpuir	Paliya	UP31T-7230	1-04-2017 to 23-08-2017	1	Boloro
7	Lucknow	Lakhimpuir		UP34T- 8233	24-08-2017 to 31-03-2018		Boloro
8	Lucknow	Lakhimpuir	Nighasan	UP31T- 8541	1-04-2017 to 31-03-2018	1	Boloro
9	Lucknow	Lakhimpuir	Bijuaa	UP32FN- 3680	1-04-2017 to 31-03-2018	1	Boloro
10	Lucknow	Lakhimpuir	Bakeyganj	UP31T- 8412	1-04-2017 to 31-03-2018	1	Boloro
11	Lucknow	Lakhimpuir	Pasgawa	UP31T- 8234	1-04-2017 to 31-03-2018	1	Boloro
12	Lucknow	Lakhimpuir	Mitauli	UP34T- 8235	1-04-2017 to 31-03-2018	1	Boloro
13	Lucknow	Lakhimpuir	Mohammdi	UP32FN- 0251	1-04-2017 to 31-03-2018	1	Boloro
14	Lucknow	Lakhimpuir	Dhaurora	UP31T- 7490	1-04-2017 to 31-03-2018	1	Boloro
15	Lucknow	Lakhimpuir	ramiyabehad	UP31T- 8445	1-04-2017 to 31-03-2018	1	Boloro
16	Lucknow	Lakhimpuir	District Vehicle no. 1	UP31T- 8195	1-04-2017 to 31-03-2018	1	Boloro
17	Lucknow	Lakhimpuir	District Vehicle no. 2	UP34T- 8233	1-04-2017 to 23-08-2017	1	Boloro
				UP31T- 6553	24.08.2017 to 25.12.2017		
				UP31T- 8278	26.12.2017 to 31.03.2018		

ACMO-NHM

Lakhimpur

CMO
Lakhimpu
r

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

14 FEB 2017

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 855836

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें
जनपद– खीरी।

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जनपद–खीरी में राष्ट्रीय स्वास्थय मिशन के अन्तर्गत जनपद/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण हेतु,जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 30.03.2017 में लिये गये निर्णय के क्रम में, किराये पर वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2017–18 में दिनांक 31.03.2018 तक फर्म की सेवायें, वर्ष 2016–17 में स्वीकृत दरों एवं शर्तो के अनुसार विस्तारित की गई है। आज दिनांक 01.04.2017 को **पक्ष सं0–1 मेसर्स/–कान्हा ट्रैवल्स**, विराज खण्ड–1, गोमती नगर लखनऊ एवं **पक्ष सं0–2** राज्य सरकार की ओर से **मुख्य चिकित्सा अधिकारी**, के मध्य निम्नलिखित शर्तो एवं नियमों के अन्तर्गत अनुबन्ध हुआ। यह **अनुबन्ध 31 मार्च 2018** तक मान्य रहेगा।

1– निविदा प्रकिया के अन्तर्गत की गई समस्त कार्यवाही इस अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।
2– समस्त देनदारियों का भुगतान पक्ष सं0–2 द्वारा बजट प्राप्त होने पर ही किया जायेगा। इस हेतु पक्ष सं0–1 द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नही की जायेंगी।
3– राजकीय जनहित में किराये पर आपूर्ति किये जाने वाले वाहन हेतु पक्ष सं0–1 द्वारा कोई भी शर्त नहीं रखी जायेगी अन्यथा जगानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4– समस्त बीजको का भुगतान नियमानुसार विभिन्न कर, यथा आयकर/विक्रीकर काटकर किया जायेगा।
5– किराये पर आपूर्ति किये गये वाहनों की गुणवत्ता मानक स्तरीय /शर्तो के अनुरूप न होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वयंविवेक से स्थानीय स्तर पर वाहन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा अधिक अन्तर भुगतान की राशि पक्ष संख्या–1 द्वारा वहन की जायेगी।
6– वाहन में ईंधन (डीजन/पेट्रोल) प्रति माह अधिकतम 2000 कि0मी0 तक प्रति वाहन को चलाये जाने हेतु पक्ष सं0–1 द्वारा भराया जायेगा।
7– ट्रैवल एजेन्सी/सेवा प्रदाता , पक्ष सं0–2 द्वारा अनुमोदित वाहन रू0 29700.00 प्रति माह की दर पर (बुलोरो अथवा बड़ी अन्य वाहन) वाहन उपलब्ध करायेगा।
8– वाहन के संचालन/रखरखाव हेतु समस्त ब्यय यथा वाहन चालक का किराया, टूट–फूट, पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स, आदि ट्रैवल ऐजेन्सी पक्ष सं0–1 द्वारा वहन किया जायेगा।
9– वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन/लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी प्रतिपूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कं0/ ट्रेवल एजेन्सी/वाहन मालिक व पक्ष सं0–1 की कम्प्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
10– उपलब्ध कराये गये वाहन का सम्बन्धित विभाग में टैक्सी परमिट में पंजीकरण एवं वाहन का बीमा कं0 में इन्श्योरेन्स होना अनिवार्य है जिसकी वैधता वाहन के संचालन के समय तक होने का उत्तरदायित्व पक्ष सं0–1 का होगा।

C. dhansh

11–यदि वाहन के टैक्सी परमिट/बीमा कं0 में इश्योरेन्स होने की वैधता, अनुबन्ध के मध्य में समाप्त होती है, तो उसे सम्बन्धित विभाग में वैध कराने एवं सम्बन्धित प्रपत्र पक्ष सं0–2 को यथा समय प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व ,पक्ष सं0–1 का होगा।

12– वाहन को चालू हालत में रखने हेतु साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव ट्रैवल एजेन्सी पक्ष सं0–1 की होगी।

13– वाहन की नियमित जॉच /साफ–सफाई /सर्विस हेतु वाहन को वर्कशाप/ गैरिज आदि में भेजना पड़े, तो उस अवधि में ट्रैवल एजेंसी /पक्ष सं0–1 के द्वारा अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

14– वैकल्पिक वाहन की ब्यवस्था 4 घंटे तक न होने पर पक्ष सं0–1 पर रू0 1200.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकता हैं।

15– वाहन में बड़ी टूट–फूट /टेक्निकल खराबी को 24 घंटे अथवा वाहन के अधिक समय में ठीक होने की स्थिति में ,सम्बन्धित विभाग में पंजीकृत वर्कशाप के मैकेनिक की रिपोर्ट के आधार पर एवं पक्ष सं0–1 की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, वाहन को ठीक/ सुधार कराने हेतु , उसके स्थान पर वैकल्पिक वाहन एवं उसके समस्त प्रपत्र उपलब्ध कराने का दायित्व पक्ष सं0–1 का होगा। उपलब्ध कराये गये वैकल्पिक वाहन की समस्त शर्ते पूर्ववत् रहेगीं

16–अनुबन्ध के सम्बन्ध में अथवा किसी भी वाद–विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल लखीमपुर न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।

17– पक्ष संख्या–1 द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं जाये जाने की स्थिति में पक्ष सं0–2 को यह अधिकार होगा कि वह पक्ष सं0–1 से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मॉग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में पक्ष सं0–1 को 15 दिन का नोटिस/सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा पक्ष सं0–1 द्वारा जमा की गई जमानत की धनराशि भी जब्त की जा सकती है।

18–जनपद स्तर पर 2 वाहन एवं ब्लाक स्तर पर 15 वाहन, कुल 17 वाहन अधिकारियों के पर्यवेक्षण हेतु उपलब्ध करायेगें।

19– समय–समय पर शासन द्वारा समस्त दिशा –निर्देश दोनो पक्षो को मान्य होगें।

दिनांक– 01.04.2017

पक्ष सं0–2

In Presence of

Signed For and on behalf of the Governer by

In presence of

(डा0 जावेद अहमद)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी

पक्ष सं0–1

निविदादाता के हस्ताक्षर–

(सुधांशु अवस्थी)
मेसर्स/–कान्हा ट्रैवल्स,
विराज खण्ड–1, गोमती नगर
लखनऊ